

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक : प. 7(5)प्राशि/आयो/2017


जयपुर, दिनांक: 04.10.2017

आदेश

B.Ed. प्रशिक्षणार्थियों को दिनांक 19.09.2017 व 20.09.2017 के द्वारा इन्टर्नशिप के लिए राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जा चुका है। प्रशिक्षणार्थियों को असुविधाजनक विद्यालय आवंटन हो जाने के कारण प्रस्तुत की जा रही परिवेदनाओं के निस्तारण के संबंध में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.09.2017 के द्वारा दिशा-निर्देशा जारी किये गये हैं। इन आदेशों के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी पुरुष प्रशिक्षणार्थी द्वारा भी परिवेदनाएं प्रस्तुत की गई हैं या की जाती हैं तो इनका निस्तारण भी पूर्व जारी दिशा-निर्देश दिनांक 22.09.2017 के अनुसार निस्तारित किया जावे।

समसंख्यक आदेश दिनांक 21.04.2017 एवं 19.02.2017 द्वारा इन्टर्नशिप हेतु आवंटित किये जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। निर्देशानुसार जयपुर शहर, टोंक, अजमेर शहर, बहरोड़, झोटवाड़ा शहरी ब्लॉक में पूर्व निर्धारित संख्या के अतिरिक्त एक-एक अतिरिक्त संख्या में निम्नानुसार विद्यालयों में प्रशिक्षणार्थियों का आवंटन किया जावे:-

1. आदर्श विद्यालय एवं स्वामी विवेकानंद माडर्न स्कूल
2. समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय
3. उत्कृष्ट विद्यालय
4. अस्सी के अधिक नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय



(सुनील कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
8. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा।
9. निदेशक, तकनीकी, एनआईसी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।

www.rajteachers.com

10. समस्त संभाग शिक्षा उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
12. समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, ।
13. प्रभारी अधिकारी शाला दर्शन/शाला दर्पण पोर्टल।
14. कार्यक्रम अधिकारी, शाला दर्शन प्रकोष्ठ को प्रेषित कर लेख है कि ई-मेल के माध्यम से संबंधित को आदेश प्रसारित करें।
15. रक्षित पत्रावली।


(एस.एन.यादव)
अनुसंधान अधिकारी

www.rajteachers.com